

1.8m

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्र०  
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~नोट प्रेस~~ में खारिज  
किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली  
फैसला शुमार नं० से कम की जाकर दाखिल  
बफतर हो प्रार्थी द्वारा लिखे जाये  
लाने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे ।

१५